वेंकटेश्वर महिला ऑडियोजिक उत्थापक सहकारी

333

संथा बनाम भारत का संघ अन्य का संघ (एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे.)

एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे. और हरिंदर सिंह सिद्धू, जे.

वेंकटेश्वर महिला ऑडियोजिक उत्थापक सहकारी संथा मरियम, उगिर-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ-प्रतिवादी 2017 का सीए-सीडब्ल्यूपी No.10

28 अगस्त, 2017

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 141 और 299-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013-आदेश 39, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम, 2017-आर. एल. 9-महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960-महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकारी एजेंसियों को पोषक पूरक और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति-हरियाणा महिला और बाल विकास विभाग के किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) के तहत आंगनवाड़ियों में पोषण की आपूर्ति के लिए निजी ठेकेदारों को आमंत्रित करने के प्रावधानों को चुनौती-आयोजित, ऐसा प्रावधान (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य, 2004) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत है-भागीदारी इस उद्देश्य के लिए फायदेमंद होनी चाहिए और राज्य के पूर्वाग्रह के लिए नहीं होनी चाहिए-यदि स्वयं सहायता समूहों द्वारा दी जाने वाली दर कम है और पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो प्रावधान

ऐसा मानते हुए, प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित है।उच्चतम न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ-3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आंगनवाड़ी में पोषण की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों का उपयोग नहीं किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है।यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि "ठेकेदार

आंगनवाड़ी में पोषण की आपूर्ति के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा... "द.

"ठेकेदार" शब्द योग्य नहीं है ।यह प्रतिबंधित नहीं है ।यह केवल वितरकों/बिचौलियों/व्यापारियों/आपूर्तिकर्ताओं को संदर्भित नहीं करता है। प्रतिवादी ने उच्चतम न्यायालय से संशोधन की मांग नहीं की है।

(पैरा 8) ने आगे कहा कि, यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं थे ।प्रतिवादी ने कोई 334 प्रस्तुत नहीं किया है।

स्वयं सहायता समूहों को शामिल नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण ।जुड़ाव वास्तव में उद्देश्य के लिए फायदेमंद, सार्थक होना चाहिए और राज्य के पूर्वाग्रह के लिए नहीं होना चाहिए ।उदाहरण के लिए, यदि ऐसे समूहों द्वारा दी जाने वाली दर अनुचित रूप से कम है या यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो परंतुक का सहारा लिया जा सकता है ।हालाँकि, हमारे सामने एकमात्र विवाद उक्त कानूनी राय पर आधारित है, जिससे हम सहमत होने में असमर्थ हैं और किसी भी स्थिति में, संबंधित नहीं हैं।

(पैरा 12) ने आगे कहा कि जब मामले को घोषणा के लिए रखा गया था, तो श्री बाल्यान ने प्रतिवादी Nos.2 और 3 के निर्देश पर तर्क दिया कि वर्तमान निविदाएं खाद्य सुरक्षा अधिनियम या उसके नियमों के प्रावधानों के तहत आमंत्रित नहीं की गई हैं ।जिस सामग्री के लिए निविदा जारी की गई थी, वह किशोर लड़कियों के लिए है जो अधिनियम या नियमों के दायरे में नहीं आती हैं।

(पैरा 16) ने आगे कहा कि खंड सी (11) को चुनौती, हालांकि, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है ।यह निविदा आमंत्रित करने वाली पार्टी के लिए है कि वह पात्रता मानदंड निर्धारित करे जब तक कि यह मनमाना या तर्कहीन न हो ।यह अदालत के लिए नहीं है कि वह अपने विचार को प्रतिस्थापित करे कि पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए ।निवल मूल्य की मात्रा को निर्धारित करना तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है ।उदाहरण के लिए, एक लेनदार उस पक्ष के खिलाफ दावा करने की स्थिति में पक्ष की कुल संपत्ति से चिंतित होगा ।इसके अलावा, एक पक्ष की कुल संपत्ति अक्सर एक अनुबंध को कुशलता से निष्पादित करने की उसकी योग्यता पर भी प्रतिबिंबित होती है ।यह विशेष रूप से वित्तीय संकट के मामले में होता है ।आम तौर पर कम निवल संपत्ति समर्थ पार्टी की तुलना

में अधिक निवल संपत्ति समर्थ पार्टी के लिए वित्तीय कठिनाइयों से उबरना आसान होगा।

(पैरा 19) ने आगे कहा कि, हमने उस अवधि की वैधता को बरकरार रखा है जिसमें एक पक्ष के लिए निर्धारित निवल मूल्य की आवश्यकता होती है।प्रारंभिक निवल मूल्य 8 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था जिसे बाद में पहले शुद्धिपत्र द्वारा घटाकर 6 करोड़ रुपये कर दिया गया।कुछ और नहीं होने पर, यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाए रखने योग्य नहीं होती क्योंकि वे किसी भी स्थिति में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुपस्थिति होते क्योंकि उनकी कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपये से भी कम है।

(पैरा 21) ने आगे कहा कि, यह स्पष्ट है कि वर्तमान निविदा प्रक्रिया उक्त आदेश और दिनांक 07.10.2004 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत थी।

प्रतिवादी Nos.2 और 3 के पास वेंकटेश्वर महिला ऑडियोजिक उत्थापक सहकारी होगा।

335

संथा बनाम भारत का संघ अन्य का संघ (एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे.)

उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना।

(पैरा 22)

देवन चौहान, अधिवक्ता

विवेक सेठी, अधिवक्ता और

सुमित बोडलकर, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

पंकज जैन, यू. ओ. आई. के वरिष्ठ पैनल वकील।

दीपक बालियान, एडिशनल।महाधिवक्ता हरियाणा।

एस. जे. वज़ीफदार, चीफ न्यायाधीश (ओरल)

(1) अपील और रिट याचिका में पक्षकार समान हैं और उन्हें भी उसी तरीके से रखा गया है।प्रतिवादी नं.1–भारत संघ ने वास्तव में याचिकाकर्ता का समर्थन किया है।

RespondentNo.2 हरियाणा राज्य है और प्रतिवादी संख्या 3 निदेशक, महिला और बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार है।

(2) 2017 की अपील-सी. ए.-सी. डब्ल्यू. पी. No.10 याचिकाकर्ता की रिट याचिका यानी 2017 की सी. डब्ल्यू. पी.-सी. ओ. एम. No.129 को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ है।2017 की रिट याचिका-CWPNo.11676 सीधे खण्ड पीठ के समक्ष दायर की गई थी।याचिकाकर्ता ने एक निविदा दस्तावेज के खंड सी (5), सी (11) और ई (11) को चुनौती देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 2017 का सी. डब्ल्यू. पी.-सी. ओ. एम. No.129 दायर किया और पूरे निविदा दस्तावेज को इसके दिनांकित शुद्धिपत्र संख्या 1 (अनुलग्नक पी-9) के साथ अलग करने के आदेश की मांग की।खण्ड पीठ के समक्ष दायर रिट याचिका में निविदा दस्तावेज़ को उसके दिनांकित शुद्धिपत्र संख्या 3 (अनुलग्नक पी-3) के साथ अलग करने का आदेश देने की भी मांग की गई है।(3) चूंकि पक्ष एक ही हैं और चुनौती एक ही निविदा के लिए है, इसलिए चुनौतियों को समेकित करना और इस सामान्य आदेश और निर्णय द्वारा अपील और रिट याचिका से निपटना सुविधाजनक है।चूँकि अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी और हमारे समक्ष याचिका दायर की थी, हम सुविधा के लिए अपीलकर्ता को याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित करेंगे।निर्णय में प्रत्यर्थियों का संदर्भ प्रतिवादी Nos.2 और 3 के लिए होगा।

(4) याचिकाकर्ता कॉर्पोरेट में एक सहकारी समिति है और महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत है।यह एक महिला संस्था है जो सरकार को पूरक पोषण खाद्य और खाद्यान्न, दालों और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में लगी हुई है और 336

महाराष्ट्र राज्य में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आई. सी. डी. एस. एस.) के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों सहित सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियां।वित्तीय वर्षों 2013-14 और 2014-15 के लिए इसका कुल कारोबार Rs.55crores से अधिक था।

(5) प्रतिवादी ने किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) हरियाणा महिला और बाल विकास विभाग के तहत आवश्यक खाने के

लिए तैयार फोर्टिफाइड भोजन की खरीद के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की ।याचिकाकर्ता ने निविदा दस्तावेज के निम्नलिखित प्रावधानों को चुनौती दी है:-

"ग) विशिष्ट नियम और शर्तें/पात्रता मानदंड:

…… …… …… …… ……

……

5. बोली लगाने वाले को आपूर्ति के लिए पेश की जा रही निविदा/समान वस्तु का निर्माता होना चाहिए और उसी के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने चाहिए।

…… …… …… …… ……

……

11. प्रतिभागी फर्म की वर्तमान निवल संपत्ति रु। सी. ए./बैंक द्वारा प्रमाणित 8 करोड़ ।…… …… …… …… ……

……

ई. अन्य शर्तें और शर्तें:11. निर्धारित बयाना धन, निविदा शुल्क और ई-सेवा शुल्क के बिना प्रस्ताव को संक्षेप में अस्वीकार किया जा सकता है ।शेष दस्तावेजों में कमी और निविदा की आवश्यकता निदेशक, महिला और बाल विकास, हरियाणा, पंचकूला के निर्णय के अधीन की जा सकती है ।"

(6) खंड सी (5) को चुनौती एक निर्णय पर आधारित है -

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन में सुप्रीम कोर्ट

भारत और अन्य 1, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 9 ।उच्चतम न्यायालय ने आयुक्तों की पाँचवीं रिपोर्ट पर विचार किया जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया था ।भाग-I एकीकृत बाल विकास सेवाओं से संबंधित था ।भाग-II और भाग-III में क्रमश: निष्कर्षों और उनकी प्रशंसाओं का सारांश था ।उच्चतम न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ बातों के साथ-साथ इस मामले से संबंधित निम्नलिखित पृष्ठभूमि का उल्लेख किया:-

1 (2004) 12 एस. सी. सी. 104 वेंकटेश्वर महिला ऑडियोजिक उत्थापक सहकारी

“आईसीडीएस, जैसा कि दिनांक 1 के आदेश में देखा गया है, शायद दुनिया के सभी खाद्य और पूरक कार्यक्रमों में सबसे बड़ा है जो योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वर्ष 1975 में शुरू किया गया था:-

“1. 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पूरक भोजन प्रदान करना और राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय करके आवश्यक स्वास्थ्य आदानों का वितरण सुनिश्चित करना।

2. प्रारंभिक उत्तेजना और शिक्षा द्वारा से पूर्व-विद्यालय बच्चों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करना;

3. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक आहार प्रदान करना;4. स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा द्वारा से बच्चे की उचित देखभाल प्रदान करने की माँ की योग्यता को बढ़ाना।

5. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना।”

आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा से बच्चों को भोजन की आपूर्ति की जाती है।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन चौहान ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्देशों पर भरोसा किया जिसे "वर्तमान के लिए" कहा गया था:-

“3. आंगनवाड़ी में पोषण की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों का उपयोग नहीं किया जाएगा और अधिमानत: ग्रामीण समुदायों, स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों का उपयोग अनाज खरीदने और भोजन तैयार करने के लिए किया जाएगा।”

(7) यह न तो था और न ही वास्तव में इस बात पर विवाद किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता महिला मंडल होने के नाते इस निर्देश के दायरे में आती है।भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थित याचिकाकर्ता का निवेदन यह है कि प्रतिवादी ने उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के विपरीत ठेकेदारों सहित पक्षों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी।उनके अनुसार, ठेकेदारों को भोजन की आपूर्ति के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं है और विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है।वर्तमान निविदा प्रक्रिया ठीक उसी के लिए है, अर्थात् आंगनवाड़ियों में पोषण की आपूर्ति के लिए।निविदा प्रक्रिया उन संस्थानों को

भी कोई प्राथमिकता नहीं देती है, जैसे कि महिला मंडल, जिन्हें इस दिशा में संदर्भित किया गया है, अर्थात्, ग्राम समुदाय, स्वयं 338

अनाज खरीदने और भोजन तैयार करने के लिए समूहों और महिला मंडलों की सहायता करें।

(8) प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित है।उच्चतम न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ-3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आंगनवाड़ी में पोषण की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है।इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि "आंगनवाड़ी में पोषण की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों का उपयोग नहीं किया जाएगा"...।"ठेकेदार" शब्द योग्य नहीं है।यह प्रतिबंधित नहीं है।यह केवल वितरकों/बिचौलियों/व्यापारियों/आपूर्तिकर्ताओं को संदर्भित नहीं करता है। प्रतिवादी ने उच्चतम न्यायालय से संशोधन की मांग नहीं की है।

(9) प्रतिवादी Nos.2 और 3, यानी हरियाणा राज्य और निदेशक, महिला और बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार ने केवल भारत संघ के एक विधि अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों को अनुमति देने के अपने फैसले को सही ठहराने की मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में "ठेकेदार" शब्द योजना के तहत भोजन की आपूर्ति के लिए केवल वितरकों/बिचौलियों/व्यापारियों/आपूर्तिकर्ताओं को संदर्भित करता है।

(10) राय यह इंगित करने में उपयोगी हो सकती है कि ठेकेदारों को अनुमति देने का प्रतिवादी का निर्णय ईमानदारी से लिया गया था और यह कि, किसी भी स्थिति में, उनकी ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन इससे अधिक नहीं। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया है।इसने केवल निविदा दस्तावेज में एक शब्द को उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत होने के रूप में चुनौती दी है।

(11) हमारा मतलब विद्वान विधि अधिकारी या उस मामले के लिए पेशे के किसी भी सदस्य के प्रति अनादर नहीं है जो एक राय प्रस्तुत करता है जब हम कहते हैं कि अदालत में एक राय पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें एक कानूनी

प्रावधान या दस्तावेज़ की शर्तों की व्याख्या करने का उद्देश्य भी शामिल है। न्यायालय को किसी भी राय से अप्रभावित उसी की व्याख्या करनी चाहिए।

(12) यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं थे।प्रतिवादी ने स्वयं सहायता समूहों को शामिल नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।जुड़ाव वास्तव में उद्देश्य के लिए फायदेमंद, सार्थक होना चाहिए और राज्य के पूर्वाग्रह के लिए नहीं होना चाहिए।उदाहरण के लिए, यदि ऐसे समूहों द्वारा दी जाने वाली दर अनुचित रूप से कम है या यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो परंतुक का सहारा लिया जा सकता है।हालाँकि, हमारे सामने एकमात्र विवाद उक्त कानूनी राय पर आधारित है, जिससे हम सहमत होने में असमर्थ हैं और किसी भी स्थिति में, संबंधित नहीं हैं।

(13) प्रतिवादी ने तब भारत सरकार द्वारा दिनांकित 09.05.2012 द्वारा जारी किए गए उक्त निर्देशों अन्य बातों के साथ साथ भरोसा किया जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान करते हैं:-

"एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वास्तविक निर्माता, जो भारत सरकार की नीति दिनांक 24.2.2009 में निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा करता है और 19.8.2011 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश पर भी सूक्ष्म पोषक तत्व पुष्ट भोजन की आपूर्ति के लिए विचार किया जा सकता है।इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों को दोहराते हुए, यह सलाह दी जाती है कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को केवल सक्षम और सक्षम समूहों या प्रविष्टियों द्वारा तैयार/निर्मित पौष्टिक भोजन प्राप्त करना चाहिए, जो संशोधित मानदंडों के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं, चाहे वे स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, ग्रामीण समुदाय या निर्माता हों और उनका सख्ती से पालन करें।"

(14) उपरोक्त निर्देश उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विपरीत हैं।आधिकारिक प्रतिवादी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से विचलित होने का कोई कारण नहीं बताया है।वे केवल उक्त राय के आधार पर अपने रुख को सही ठहराते हैं।

(15) इसलिए, याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1-भारत संघ की ओर से इस निवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि ये निर्देश राष्ट्रीय खाद्य

सुरक्षा अधिनियम, 2013 की खंड 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत) नियम, 2017 के नियम 9 को देखते हुए काम करना बंद कर देते हैं ।नियम 9 इस प्रकार है:-

"9. पूरक पोषण के लिए व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा करने की जिम्मेदारी ।– महिला और बाल विकास मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और राष्ट्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड और आंगनवाड़ी स्तरों पर निगरानी और समीक्षा समितियां पूरक पोषण की व्यवस्था की स्थिति की निगरानी और समीक्षा करने, जल और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय, आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित कामकाज सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

आयोडीनयुक्त या आयरन फोर्टिफाइड आयोडीनयुक्त लवणों के व्यवधान और उपयोग के बिना, मानदंडों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण दौरा सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक भोजन के वितरण की विधि, स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी, उनद्वारा से पूरक पोषण की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपरोक्त से संबंधित अन्य सभी मुद्दे, समय-समय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में परिभाषित उनकी भूमिकाओं के अनुसार।

बशर्ते कि स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी तक, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अधिसूचित मौजूदा नियमों और विनियमों के संदर्भ में ऐसे अन्य स्रोतों या अनुमोदित एजेंसियों से पूरक पोषण की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।" (जोर दिया गया)

उनका तर्क है कि नियम 9, इसलिए, उनद्वारा से पूरक पोषण की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी की आवश्यकता है ।यह प्रावधान अधिकारियों को केवल स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी तक आपूर्ति की व्यवस्था करने का अधिकार देता है ।निविदा प्रक्रिया

स्वयं सहायता समूहों द्वारा से सामग्री की खरीद सुनिश्चित करके नियम 9 को लागू करने के लिए एक अभ्यास होना चाहिए था।

(16) जब मामले को घोषणा के लिए रखा गया था, तो श्री बाल्यान ने प्रतिवादी Nos.2and 3 के निर्देश पर तर्क दिया कि वर्तमान निविदाएं खाद्य सुरक्षा अधिनियम या उसके नियमों के प्रावधानों के तहत आमंत्रित नहीं की गई हैं।जिस सामग्री के लिए निविदा जारी की गई थी, वह किशोर लड़कियों के लिए है जो अधिनियम या नियमों के दायरे में नहीं आती हैं।

यह निवेदन भले ही अच्छी तरह से स्थापित हो, लेकिन उत्तरदाताओं के मामले को आगे नहीं ले जाता है, क्योंकि उस स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश और निर्णय में जारी किए गए निर्देश जारी रहेंगे।निर्णय एक पूर्व निर्णय और दिनांक 29.04.2004 के आदेश द्वारा जारी किए गए आगे के निर्देशों को संदर्भित करता है कि आंगनवाड़ी केंद्र किशोर लड़कियों को भी पौष्टिक भोजन/पूरक की आपूर्ति करेंगे।इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश में जारी किए गए निर्देश किशोर लड़कियों के लाभ के लिए पोषण की आपूर्ति के संबंध में भी लागू होंगे।

(17) इसलिए पैराग्राफ सी (5) को चुनौती दी गई है।

(18) दिनांकित शुद्धिपत्र-1 के पैराग्राफ-1 को चुनौती भी उसी कारण से सफल होनी चाहिए, जिस कारण से वेंकटेश्वर महिला ऑडयोगिक उत्पादक सहकारी के खंड सी (5) को चुनौती दी गई थी।

निविदा दस्तावेज जहाँ तक इसमें उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देश में उल्लिखित पक्षों के अलावा अन्य पक्ष शामिल हैं।

(19) हालांकि, खंड सी (11) को चुनौती अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।यह निविदा आमंत्रित करने वाली पार्टी के लिए है कि वह आपको देयता मानदंड निर्धारित करे जब तक कि यह मनमाना या तर्कहीन न हो।यह अदालत के लिए नहीं है कि वह अपने विचार को प्रतिस्थापित करे कि पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए।निवल मूल्य की मात्रा को निर्धारित करना तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।उदाहरण के लिए, एक लेनदार उस पक्ष के खिलाफ दावा करने

की स्थिति में पक्ष की कुल संपत्ति से चिंतित होगा ।इसके अलावा, एक पक्ष की कुल संपत्ति अक्सर एक अनुबंध को कुशलता से निष्पादित करने की उसकी योग्यता पर भी प्रतिबिंबित होती है ।यह विशेष रूप से वित्तीय संकट के मामले में होता है। आम तौर पर कम निवल संपत्ति समर्थ पार्टी की तुलना में अधिक निवल संपत्ति समर्थ पार्टी के लिए वित्तीय कठिनाइयों से उबरना आसान होगा ।किसी और चीज की अनुपस्थिति में, निवल मूल्य जितना अधिक होगा, वित्त जुटाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी ।इसलिए, खंड सी (11) को चुनौती अच्छी तरह से स्थापित नहीं है ।इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने खंड सी (11) की चुनौती को सही ढंग से खारिज कर दिया ।वास्तव में, विद्वान न्यायाधीश के समक्ष जो तर्क दिया गया था, उस पर विचार करते हुए निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, सीधे खण्ड पीठ के समक्ष दायर याचिका और अपील में, याचिका में अन्य दलीलें भी उठाई गईं ।प्रतिवादी के पास इससे निपटने का अवसर था और भारत संघ ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन किया।

(20) यह हमें दिनांकित शुद्धिपत्र-3 के लिए चुनौती देता है क्योंकि इसमें बोली लगाने वालों को पिछले 10 वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित तुलनपत्र जमा करने की आवश्यकता होती है ।शुद्धिपत्र-3 इसी वर्ष जारी किया गया था ।किसी पक्ष के लिए बिना किसी पक्ष की गलती के इस शर्त का पालन करना संभव नहीं हो सकता है ।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि आयकर अधिनियम की धारा 149 और 153 ए के तहत दस साल के लिए बैलेंस शीट को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, जो केवल आई. डी. 1 के प्रभाव से लागू हुई है ।इससे पहले, निर्धारिती केवल सात वर्षों के लिए तुलनपत्र को संरक्षित करने के लिए उत्तरदायी थे ।इस तरह के खंड का लाभ केवल उन निर्धारिती ही उठा सकते थे जिन्होंने कानूनी रूप से ऐसा करने की आवश्यकता के बिना अपनी तुलनपत्र को संयोग से संरक्षित कर लिया था ।यह एक तर्कसंगत आवश्यकता नहीं है ।यह सुझाव नहीं दिया गया था कि पिछले सात वर्षों की बैलेंस शीट बोलीदाता की अनुबंध करने की योग्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

(21) हमने उस अवधि की वैधता को बरकरार रखा है जिसमें एक पक्ष के लिए निर्धारित निवल मूल्य की आवश्यकता होती है ।प्रारंभिक निवल मूल्य 8 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था जो बाद में पहले शुद्धिपत्र द्वारा घटाकर 6,342 रुपये कर दिया गया।

करोड़ ।कुछ और नहीं होने पर, यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाए रखने योग्य नहीं होती क्योंकि वे किसी भी स्थिति में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुपस्थिति होते क्योंकि उनकी कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपये से भी कम है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने खंड सी (5) की वैधता को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। इससे कई पक्ष यानी ठेकेदार और निर्माता बाहर हो जाएंगे ।इसलिए इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार पक्षों यानी स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों आदि की सीमा और ऐसे पक्षों को वरीयता देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को ध्यान में रखते हुए निर्धारित निवल मूल्य पर पुनर्विचार करेंगे ।आई. डी. 1 पर खुले न्यायालय में दिए जा रहे निर्णय के इस चरण में, हमने मामले को आज तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि प्रतिवादी इस बारे में निर्देश ले सकें कि क्या निविदाएं उच्चतम न्यायालय के फैसले में निर्धारित पक्षों तक ही सीमित हैं, तो वे आवश्यक निवल मूल्य के संबंध में पात्रता की अवधि में बदलाव करेंगे ।श्री बाल्यान ने कहा कि respondentNos.2 और 3 इस स्तर पर इस संबंध में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं।

(22) यह स्पष्ट है कि वर्तमान निविदा प्रक्रिया उक्त आदेश और दिनांक 07.10.2004 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत थी ।प्रतिवादी Nos.2 और 3 को उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से निविदा प्रक्रिया शुरू करनी होगी ।हम यह स्पष्ट करते हैं कि पात्रता की शर्तें प्रतिवादी Nos.2 और 3 पर छोड़ दी गई हैं जिन्होंने निविदाएं आमंत्रित की हैं ।उदाहरण के लिए, वे पात्रता की अवधि के रूप में किसी विशेष मूल्य के निवल मूल्य को निर्धारित करना जारी रख सकते हैं ।इसके अलावा, यह प्रतिवादी Nos.2 और 3 के लिए होगा कि वे वित्तीय पहलू और आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करें कि क्या निविदा प्रक्रिया केवल सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों में उल्लिखित पक्षों तक ही सीमित करके आगे बढ़ सकती है या क्या कोई असाधारण परिस्थितियां हैं जो उन्हें इससे विचलित होने के लिए मजबूर करती हैं, जैसा कि श्री बाल्यान ने सही बताया है, उक्त निर्देश स्पष्ट रूप से अनाज की खरीद और भोजन तैयार करने के लिए उसमें उल्लिखित पक्षों का उपयोग करके खर्च किए जा रहे धन की आवश्यकता को "अधिमानत:" शब्द के साथ प्रस्तुत करता है ।हम इस संबंध में

कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।(23) हमें आश्वासन दिया गया है कि नई निविदाएं आमंत्रित किए जाने के कारण भोजन की आपूर्ति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

(24) जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता है।विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जो एकमात्र तर्क उठाया गया प्रतीत होता है, वह खंड वेंकटेश्वर महिला ऑडियोजिक उत्थक सहकारी को चुनौती देना था।

सी (11)।विद्वान न्यायाधीश ने चुनौती को सही ढंग से खारिज कर दिया।निर्णय को दरकिनार करने का एकमात्र कारण पक्षकारों द्वारा उठाई गई अन्य दलीलों के कारण है जिनका दोनों रिट याचिकाओं में भी अनुरोध किया गया है।इसके अलावा, भारत संघ ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन किया।

(25) इन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादी को कानून के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।अपील और दोनों रिट याचिकाओं का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

पायल मेहता

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रदीप कुमार

ट्रांसलेटर